


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह जोधा बनाम लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण) जोधपुर) सू.अ. अपील संख्या 60 / 2024</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>12 / 06 / 2024</p>	<p>अपीलार्थी खेमसिंह जोधा निवासी ग्राम पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2024 में उनके द्वारा पटवार मण्डल सतलाना व करनियाली में खरीफ 2020 एवं खरीफ 2021 में फसल बीमा का क्लेम के संबंध में की गई जांच रिपोर्ट की प्रमाणित छाया प्रतियां मय संलग्न दस्तावेजों को नियमानुसार उपलब्ध करवाने एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 252 दिनांक 10.06.2024 को बतलाया कि प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 251 दिनांक 10.06.2024 के माध्यम से चाही गई बिन्दु संख्या 1 सूचना जांच प्रक्रियाधीन होने से उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है तथा बिन्दु संख्या 2 की प्रमाणित सूचना प्रेषित कर अवगत कराया जा चुका है।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के स्पष्टीकरण/चाही गई सूचना से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) जिला कलक्टर, जोधपुर (शा.व.) </p>	